

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-1/छात्रावास(संघा.)-31-01/2010-

(स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, भा० प्र० से०
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी
भागलपुर।

पटना, दिनांक 27.03.18

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिये संचालित स्थायी कार्यरत छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन मद में अनुसूचित जन जाति के छात्रावासों के लिए कुल ₹9,58,800/- (नौ लाख अन्ठावन हजार आठ सौ रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित स्थायी कार्यरत छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन, भत्ते एवं अन्य मदों में अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए ₹6,08,63,110/- एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के लिए ₹61,26,120/- अर्थात् कुल ₹69,89,230/- (छ: करोड़ उनसठ लाख नवासी हजार दो सौ तीस रुपये) मात्र का पूरे वर्ष के लिए विभागीय पत्रांक-07 दिनांक-19.05.17 द्वारा की गई है। इसी क्रम में विभागीय पत्रांक-20 दिनांक-07.06.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, खगडिया एवं भागलपुर को कुल ₹11,73,449/- (ग्यारह लाख तिहत्तर चार सौ उन्नचास रुपये), पत्रांक-46 दिनांक-18.07.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर/कैमूर/दरगंगा को कुल ₹14,78,968/- (चौदह लाख अठहत्तर हजार नौ सौ अडसठ रुपये), पत्रांक-61 दिनांक-20.09.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना/सहरसा/नालन्दा को ₹46,67,080/- (छियालीस लाख सडसठ हजार अस्सी रुपये), पत्रांक-72 दिनांक-17.10.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी अररिया/बक्सर/कटिहार/छपरा(सारण)/मुंगेर को ₹47,13,000/- (सैतालीस लाख तेरह हजार रुपये), पत्रांक-90 दिनांक-20.11.2017 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, वैशाली/पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी)/मुजफ्फरपुर/मधेपुरा/सिवान को ₹26,33,000/- (छब्बीस लाख तैतीस हजार रुपये), पत्रांक-115 दिनांक-08.01.18 द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/नालन्दा/खगडिया/कटिहार को कुल ₹21,11,250/- (एक्कीस लाख ग्यारह हजार दो सौ पचास रुपये), पत्रांक-115 दिनांक-08.01.18 द्वारा पूर्वी चम्पारण(मोतीहारी)/भोजपुर(आरा) को कुल ₹10,10,800/- (दस लाख दस हजार आठ सौ रुपये) मात्र की अतिरिक्त राशि आवंटित की गयी है। इसी क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-293 दिनांक-01.02.18 से अतिरिक्त राशि की मांग के आलोक में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल ₹9,58,800/- (नौ लाख अन्ठावन हजार आठ सौ रुपये) निम्न प्रकार से राशि आवंटित की जाती है:-

क्र०	कार्यालय का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	संविदा सेवाएँ	कुल अतिरिक्त आवंटित राशि
1	जिला कल्याण कार्यालय, भागलपुर (अ० ज० जा०)	₹288000/-	₹410000/-	₹11000/-	₹2000/-	₹247800/-	₹958800/-

(नौ लाख अन्ठावन हजार आठ सौ रुपये)

2- कुल भारत व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में आय-व्यय मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा- उपशीर्ष-0003-लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास-विषय शीर्ष-0003.01.01 वेतन, 0003.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0003.01.04-मकान किराया भत्ता, 0003.01.06-चिकित्सा भत्ता, 0003.28.02-संविदा सेवाएँ, मांग सं०-44- विपत्र कोड संख्या-44-2225022770003 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस राशि की निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो निकारी की गयी राशि की व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे तथा उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17-4-98 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार पटना को दी जा रही है।

6- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक
27/3/18

ज्ञापक - 1/छात्रावास(संघा.)-31-01/2010- 172 पटना, दिनांक- 27.03.18
प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त,/ संबंधित उप निदेशक, कल्याण/अवर सचिव, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा-3 डी० एवं सांख्यिकी कोषांग, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक
27/3/18

ज्ञापक - 1/छात्रावास(संघा.)-31-01/2010- 172 पटना, दिनांक- 27.03.18
प्रतिलिपि :- आई० टी० प्रबंधक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक
27/3/18

(वीरेन्द्र कुमार)